उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 1593/VII-1/2015/146–ख/2010
देहरादून : दिनांकः 7 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/VII-1/2015/146–ख/2010, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के प्रस्तर–10 में अतिरिक्त प्राविधान जोड़े जाने, विज्ञप्तिकरण एवं लाटरी प्रपत्र, शर्तों संलग्न के परिशिष्ठ के प्रस्तर–4 ''लाटरी प्रपत्र एवं शुल्क'', प्रस्तर–8 ''लाटरी द्वारा चयन प्रकिया'' के बिन्दु संख्या (2) तथा प्रस्तर–9 भुगतान की प्रकिया के बिन्दु संख्या (1) सीमांकन शुल्क के उपबिन्दु संख्या (2), ''पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण'' के बिन्दु संख्या (क) एवं (ख) में निम्नानुसार संशोधन तथा (ख) के उपबिन्दु संख्या (vi) को विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– प्रस्तर–10 में–

<u>अतिरिक्त प्राविधान</u>

उपखनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृति हेतु खनन क्षेत्र के चिन्हीकरण/संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1. उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/उनके प्रतिनिधि – सदस्य।
3. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग – सदस्य।
4. खान अधिकारी/खान निरीक्षक – सदस्य सचिव।

उपरोक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

3– <u>विज्ञप्तिकरण एवं लाटरी प्रपत्र, शर्तों संलग्न के परिशिष्ठ के</u>
प्रस्तर–4 ''लाटरी प्रपत्र एवं शुल्क''

क0सं0	नीति में प्राविधान	एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
1.	**4. ''लाटरी प्रपत्र एवं शुल्क''–** प्रत्येक लाटरीकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बिना वापसी का लाटरी शुल्क/लाटरी प्रपत्र मूल्य रू0 5000 लेखाशीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क + 13.5 % वैट	**''लाटरी प्रपत्र एवं शुल्क''–** प्रत्येक लाटरीकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बिना वापसी का लाटरी शुल्क/लाटरी प्रपत्र मूल्य रू0 5000 लेखाशीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क + 13.5 % वैट अर्थात् रू0 675

	अर्थात् रू0 675 लेखा शीर्षक 0040–बिकी, व्यापार आदि पर कर, 102 राज्य व्यापार कर/वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, 01 कर संग्रहण ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के कोषागार में जमा कर लाटरी प्रपत्र एम0एम0–17प्रपत्र–I (लाटरी प्रपत्र), एम0एम0–17 प्रपत्र–II (वित्तीय लाटरी) प्राप्त किये जायेंगे।	लेखा शीर्षक 0040–बिकी, व्यापार आदि पर कर, 102 राज्य व्यापार कर/वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, 01 कर संग्रहण ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के कोषागार में जमा कर लाटरी प्रपत्र प्राप्त किये जायेंगे।
2.	**8. लाटरी द्वारा चयन प्रकिया** (2) समस्त लाटरीकारों में से अधिकतम लाटरी (निविदित मूल्य किसी भी दशा में आधार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) देने वाले लाटरीकार का ही चयन किया जायेगा।	**8. लाटरी द्वारा चयन प्रकिया** (2) समस्त लाटरीकारों में से लाटरी द्वारा लाटरीकार का चयन किया जायेगा।

4– **विज्ञप्तिकरण एवं लाटरी प्रपत्र, शर्तों संलग्न के परिशिष्ठ –**
प्रस्तर–9 भुगतान की प्रकिया के बिन्दु संख्या (1) सीमांकन शुल्क के उपबिन्दु संख्या (2) में संशोधन :–

क0सं0	**नीति में प्राविधान**	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान**
1.	(2) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित लॉटों में सफल लाटरीकार हेतु सीमांकन शुल्क लागू नहीं होगा।	(2) निगम को आवंटित लॉटों में सफल लाटरीकार हेतु सीमांकन शुल्क लागू नहीं होगा।

5– **विज्ञप्तिकरण एवं लाटरी प्रपत्र, शर्तों संलग्न के परिशिष्ठ–**
प्रस्तर–10 "पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण" के
बिन्दु संख्या (क) एवं (ख) में संशोधन तथा बिन्दु संख्या (ख) के उपबिन्दु (vi) का विलोपन –

क0सं0	**नीति में प्राविधान**	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान**
1.	(क) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित खनन लॉटो हेतु लाटरी द्वारा चयनित व्यक्ति को निम्न के साथ सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) प्रबन्ध निदेशक के साथ किया जाना होगा। (ख) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित खनन लॉटो से भिन्न खनन लॉटों हेतु निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जानी होगी :–	(क) निगम को आवंटित खनन लॉटो हेतु लाटरी द्वारा चयनित व्यक्ति को निम्न के साथ सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) प्रबन्ध निदेशक के साथ किया जाना होगा। (ख) निगम को आवंटित खनन लॉटो से भिन्न खनन लॉटों हेतु निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जानी होगी :–
	(ख) **(vi)** पट्टे की अवधि की सगणना पट्टा विलेख पंजीयन की दिनांक से की जायेगी।	–विलोपित–

6— उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 में उपरोक्तानुसार किये गये अतिरिक्त प्राविधान, आंशिक संशोधन एवं विलोपन के उपरान्त नीति के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1593 (1)//VII-1/2015/146—ख/2010, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेषालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त उप निदेशक, खनन/भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सम्बन्धित जनपद।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेशित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग—4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)
उप सचिव।